

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बड़जलास- पीयूष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -121/2022

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर - 2022/146

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोजेन्ट
मेहराम पुत्र रामाराम जाति कुम्हार, निवासी रायधनु तहसील व जिला नागौर राज.।		तहसीलदार नागौर

उपस्थिति:-

1. अपीलान्त की ओर से वकील श्री राधेश्याम सांगवा।
2. रेस्पोजेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय

दिनांक 06-07-2022

अपीलान्त द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 27/2021 सरकार बनाम मेहराम में पारित निर्णय दिनांक 28.12.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.04.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्त की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्त ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ-पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्त ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांत ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है कानूनी पेचीदगीयो से अनभिज्ञ है खसरा नं. 522 मौजा रायधनु के कथित रकबा पर उसका पुराने समय से शांतिपूर्वक कब्जा उपयोग उपभोग रहता चला आया है कोई नया कब्जा/अतिक्रमण नहीं है उसके विरुद्ध राजनेतिक पार्टीबाजी से समूह विशेष के लोगो ने मिलकर मिथ्या अतिक्रमण रिपोर्ट पेश करवा दी व उसके आधार पर अपीलांत के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलांत ने जवाब व साक्ष्य पेश किया, जिस पर उनका अवलोकन करके तहसील कार्यालय नागौर से अपीलांत को यही हिदायत दी गयी कि आपका पुराना कब्जा है सरकारी परिपत्रों के अनुसार नियमन की कार्यवाही की जायेगी व इस संबंध में बाद में अपीलांत को सूचित कर देने का कहा जिससे अपीलांत संतुष्ट हो गया लेकिन कालान्तर में दिनांक 28.12.2021 को अपीलांत की पीठ पीछे उक्त निर्णय पारित कर अपीलांत को बेदखली व शास्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित कर दिया, जिसकी कोई जानकारी अपीलांत को नहीं हो सकी, हाल ही में पटवारी हल्का मौके पर आया व अपीलांत का मेकान, बाड़ा हटाने व बेदखल करने का कहा तथा अपीलांत के विरुद्ध निर्णय हो जाना बताया जिस पर अपीलांत ने अधीनस्थ न्यायालय में जाकर पता किया व नकलो का आवेदन दिनांक 18.4.2022 को पेश किया जिस पर सायं तक नकले तैयार होकर प्राप्त हुई व अपीलांत ने कानूनी राय लेकर अधिवक्ता नियुक्त कर सारे दस्तावेज बताकर अपील तैयार करवाई व बिना किसी देरी के यह अपील पेश की है उपरोक्त परिस्थितियों में देरी माफ कर अपील को अन्दर मियाद शुमार करना न्याय संगत होने का कथन करते हुए न्याय हित में देरी माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए अपील अपीलान्त खारिज करने का निवेदन किया। प्रकरण में अपीलान्त/प्रार्थी द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के समर्थन में अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः अपीलान्त के कथनों पर विश्वास किया जाकर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्त ने बहस में कथन किया कि अपीलांत के विरुद्ध खसरा नं. 522 रकबा 1.10 बीघा गे.मु. मगरा वाके मौजा रायधनु



कलक्टर, नागौर

पर अपीलांट को कृषि वर्ष 2078 में बाड़ा बना कर अतिक्रमण करना बताकर तहसीलदार नागौर द्वारा नोटिस दिया गया, जिस पर अपीलांट ने हाजिर होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि गेर सायल गांव रायधनु का निवासी है तथा गेरसायल के खसरा नं. 522 गेर मुमकिन मगरा भूमि रकबा 1.10 बीघा में पिछले 50 वर्षों से पक्का मकान, हौद, बाड़ा वगैरह बना हुआ है तथा अप्रार्थी परिवार सहित उक्त मकान में निवास करता आया है तथा संवत 2030 से लगातार उक्त मकान व जायगा में अप्रार्थी परिवार सहित निवास करता है। अप्रार्थी के पिता का पी.14 (गिरदावरी) में संवत 2030 से आज तक कब्जा का अंकन किया हुआ है व कब्जा रहता चला आया है जिसकी नकले भी पेश की गयी व आगे निवेदन किया कि अप्रार्थी के गांव रायधनु के इस मकान, बाड़े के अलावा अन्य कोई मकान नहीं है तथा एक मात्र निवास करने के लिए उक्त जायगा में बना हुआ मकान ही है तथा उक्त भूमि अप्रार्थी को नियमन किये जाने योग्य है तथा इस मूल खसरा में से कई लोगो को भूमि नियमन / आवंटन की हुई है मौके पर आस पास चारो तरफ रहवासी मकानात बने हुए हैं विद्युत व पानी के कनेक्शन लिये हुए हैं तथा समय समय पर सरकारी योजना अनुसार तमाम दस्तावेजात बनाकर सरकारी योजना का लाभ भी दिया हुआ है इस प्रकार कोई नया अतिक्रमण व कब्जा नहीं है पुराना कब्जा होने से नियमन योग्य है। अप्रार्थी को कथित नोटिस गलत रूप से जारी किया गया है इस कारण अप्रार्थी को दिया गया नोटिस ड्रॉप फरमावे तथा उक्त भूमि में बने मकान, बाड़े को अप्रार्थी को नियमन कर पट्टा जारी करने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात अपीलांट का जवाब व साक्ष्य सबूत का अवलोकन करके तहसील कार्यालय नागौर से यही हिदायत दी गयी कि आपका पुराना कब्जा है सरकारी परिपत्रों के अनुसार नियमन की कार्यवाही की जायेगी व इस संबंध में बाद में अपीलांट को सूचित कर देने का कहा जिससे अपीलांट संतुष्ट हो गया लेकिन कालान्तर में दिनांक 28.12.2021 को अपीलांट की पीठ पीछे उक्त निर्णय पारित कर अपीलांट को बेदखली व 23 रु. शास्ति अधिरोपित करने का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील कतई गलत, विधि विरुद्ध व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करे तो स्पष्ट है कि अपीलांट ने जवाब व दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय में पेश किये जो निर्णय में स्पष्ट लिखा हुआ है मगर न्यायालय की किसी भी आदेशिका में जवाब व दस्तावेज पेश करने व पत्रावली पर लेने का कोई उल्लेख दर्ज नहीं है इसके अलावा पेशी दिनांक 12.10.2021 को नियत की गयी व जवाब एवं साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना बताया लेकिन दिनांक 12.10.2021 की आदेशिका में प्रशासन गांवों के संग अभियान की सील लगी हुई है व आगामी पेशी दिनांक 28.12.2021 को किस हेतु नियत की गयी है इसका कोई उल्लेख नहीं होते हुए भी आगामी पेशी दिनांक 28.12.2021 को बिना अपीलांट को विधिवत सुने एक तरफा में निर्णय पारित कर दिया, जबकि अपीलांट को ऐसी किसी भी तारीख पेशीयो की कोई जानकारी नहीं दी गयी न ही पटवारी हल्का के बयान लिये न ही पटवारी से अपीलांट को जिरह का अवसर दिया गया, बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलांट को पूर्ण सुमवाह व साक्ष्य से वंचित कर निर्णय पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

तहसील कार्यालय में जिस पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरुद्ध अतिचार का प्रकरण दर्ज हुआ है प्रथम तो उक्त रिपोर्ट सरासर गलत है दायम में उक्त कथित रिपोर्ट पर पटवारी हल्का व आर.आई. के हस्ताक्षर है मगर अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व न तो पटवारी के सशपथ बयान कलमबद्ध किये न ही आर.आई. के बयान लिये गये और न ही अपीलांट को आगामी पेशीयो व साक्ष्य सबूत पूर्ण रूप से पेश करने का अवसर ही दिया गया और एक तरफा रूप से कार्यवाही की गयी है जिससे अपीलांट के विधिक अधिकारो पर भारी कुठाराघात हुआ है।

पटवारी हल्का की कथित रिपोर्ट व तहसील का जो नोटिस आया है उसमें अपीलांट को हाल ही में वर्ष 2078 में अतिक्रमण करना बताया है जबकि अपीलांट के जवाब व जो साक्ष्य पेश की गयी है जिससे अपीलांट का कब्जा कई दशको पुराना साबित है मकान, पानी का हौद बाड़ा बने हुए हैं इसके बावजूद नया कब्जा की कथित रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलांट को बेदखल करने व शास्ति से दण्डित करने का निर्णय विधि विरुद्ध पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।



कलक्टर, नागौर

उक्त भूमि न तो अंगौर है न गौचर है न किसी नाडी या तालाब का अंगौर है यानि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है और नियमन योग्य भूमि रही है आस पास सैंकड़ो मकान व बाड़े चारो तरफ बने हुये है अन्य कई लोगो के नाम से इस खसरा में नियमन हो रखे है तथा सरकारी परिपत्रो के अनुसार अपीलांट का भी कब्जा पुराना होने से नियमन योग्य होते हुये भी केवल मात्र गांव की राजनेतिक पार्टीबाजी के चलते समूह विशेष के लोगो ने पटवारी हल्का से मिथ्या रिपोर्ट अपीलांट को तंग परेशान करने के लिए पेश करवाई है तथा अपीलांट ने तहसीलदार को मौखिक रूप से यह भी निवेदन किया कि आप स्वयं मौके पर पधार कर मौका निरीक्षण करे ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके, लेकिन तहसीलदार ने न तो मौके पर आकर अपने स्तर पर कोई निरीक्षण किया न किसी टीम से जांच करवाई न अन्य किसी तरह से मौके की स्थिति पत्रावली पर मंगवाई न ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य का खुलासा विवेचन व विश्लेषण किया तथा केवल मात्र एक पेज में आधे अधूरे तथ्य दर्ज कर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है जो विधिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है निरस्त किये जाने योग्य है।

तहसीलदारजी नागौर ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब व साक्ष्य का सही ढंग से अवलोकन नहीं किया तथा निर्णय जैर अपील में जवाब के तथ्य व साक्ष्य जो पेश हुई है उसको मानने या नहीं मानने का कोई खुलासा अंकन किये बिना ही व अपीलांट का कब्जा पुराना है तथा नियमन योग्य क्यों नहीं है तथा नया अतिक्रमण कैसे है इस संबंध में कोई खुलासा तथ्य दर्ज किये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जबकि मौके पर अपीलांट का पुराना मकान बना हुआ है जिसमें परिवार सहित निवास करता है पशुओ का बाड़ा बना हुआ है जिसमें पशुधन रखते है पानी का हौद बना हुआ है तथा नियमानुसार सम्पूर्ण सरकारी सुविधा ली हुई है तथा समय समय पर अपीलांट का मौके पर पुराना कब्जा व निवास मानकर सर्वे होकर यहीं के तमाम सरकारी दस्तावेज बने हुई है इस प्रकार स्पष्ट है कि भूमि काबिल नियमन है अपीलांट का पुराना कब्जा है अन्य कोई परिवार के निवास का स्थान नहीं है न ही पशुधन बांधने, कृषि औजार, चारा फुस रखने की कोई जगह है तथा अपीलांट के कब्जासुद उक्त भूमि से किसी प्रकार की कोई परेशानी किसी भी ग्रामीण को नहीं हुई है न किसी ग्रामवासी की कोई शिकायत रही है ऐसी स्थिति में निर्णय जैर अपील सरासर गलत व निरंकुशता पूर्ण पारित किया होने से निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील दिनांक 28.12.2021 को निरस्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा मौजा रायधनू के खसरा नम्बर 522 रकबा 0.10 बीघा किस्म गै.मु. मगरा भूमि (विवादित भूमि) पर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का रायधनू द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक कुमारी द्वारा सत्यापित रिपोर्ट दिनांक 27.07.2021 को प्रस्तुत की, जिस प्रकरण अपीलान्ट के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत कर उक्त विवादित भूमि पर संवत 2030 से कब्जा होकर मकान व बाड़ा बना हुआ होना अवगत कराते हुए उक्त भूमि में बने मकान व बाड़े का नियमन करने का निवेदन किया गया। इसके अलावा अपीलान्ट स्वयं ने अधिनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा में उक्त विवादित भूमि पर स्वयं का पुराना कब्जा होना स्वीकार करते हुए एवं उक्त कब्जा को नियमन करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में निगरानी/ एलआर/2885 /2006/नागौर, मूलनाथ बनाम सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2017 में अंकित किया है कि "जहां तक पुराने कब्जे के आधार पर नियमन का प्रश्न है, तो धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पृथक से कार्यवाही ही संभव है।" चूंकि अपीलान्ट विवादित भूमि पर स्वयं का पुराना कब्जा होना स्वीकार किया है, इसलिए अपीलान्ट अतिक्रमी है एवं उक्त निर्णय अनुसार ऐसे पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है, का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।



h
कलेक्टर, नागौर

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.04.2017 का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण अपीलान्त द्वारा मौजा रायधनू के खसरा नम्बर 522 रकबा 1.10 बीघा किस्म गै.मु. मगरा भूमि (विवादित भूमि) पर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का रायधनू द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक कुमारी द्वारा सत्यापित रिपोर्ट दिनांक 27.07.2021 को प्रस्तुत की। प्रकरण में अपीलान्त ने स्वयं ने अधिनस्थ न्यायालय एवं हस्तगत अपील में विवादित भूमि पर स्वयं का कब्जा होना स्वीकार करते हुए, उक्त कब्जा को नियमन करने का निवेदन किया है। उक्त संबंध में निगरानी/एलआर/2885/2006/नागौर, मूलनाथ बनाम सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2017 में अंकित किया है कि **“जहां तक पुराने कब्जे के आधार पर नियमन का प्रश्न है, तो धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पृथक से कार्यवाही ही संभव है।”** हस्तगत प्रकरण में चूंकि अपीलान्त स्वयं ने विवादित भूमि पर स्वयं का पुराना कब्जा होना स्वीकार किया है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त उक्त विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है एवं उक्त निर्णय अनुसार ऐसे पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन कि आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर